

**भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड भोपालपानी
देहरादून।**

संख्या 76 /ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18,

दिनांक 28 मार्च, 2018

विज्ञापन

ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के विभागीय वेब पोर्टल www.dgm.uk.gov.in पर वैध पंजीकृत बिडर्स हेतु विज्ञापन संख्या 876/ई0निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं संशोधित विज्ञापन संख्या 05/ई0निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 23 फरवरी, 2018 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग तथा हरिद्वार के कुल 85 उपखनिज खनन लॉटों के लिए प्रथम चरण (ई-निविदा) (दिनांक 07.02.2018 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 21.03.2018 तक अपराह्न 5.00 बजे तक) हेतु विभागीय वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग तथा हरिद्वार के स्थायी निवासी या स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो, हेतु था। उक्त 85 उपखनिज लॉटों में से 50 उपखनिज लॉटों हेतु अर्ह निविदादाता/बोलीदाता उपलब्ध न होने के कारण यह लॉट, उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 (11)(4) के अनुसार, अगले उच्चे वर्ग (राज्य स्तर) "राज्य के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट/कम्पनी एक्ट अथवा पार्टनरशिप एक्ट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अधीन पंजीकृत हो", हेतु पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु निम्नानुसार विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है :-

खनन लॉटों का विवरण :-

क्र०सं०	जनपद का नाम	उपखनिज लॉटों की संख्या
1	पौड़ी गढ़वाल	26
2	उत्तरकाशी	06
3	हरिद्वार	14
4	पिथौरागढ़	04
	योग :-	50

2- उपखनिज लॉटों एवं विस्तृत विज्ञापन की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट www.dgm.uk.gov.in पर लॉगइन कर प्राप्त की जा सकती है।

3- उक्त उपखनिज लॉटों की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न की जायेगी :-

तालिका-1

प्रथम चरण (ई-निविदा)- (दिनांक 30.03.2018 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 24.04.2018 तक अपराह्न 05:00 बजे तक)	
विज्ञापन प्रकाशन	दिनांक 30.03.2018 (शुक्रवार)
uktenders.gov.in पर निविदा अपलोड की तिथि	दिनांक 30.03.2018 (शुक्रवार) सायं 5:00 बजे
विभागीय वेबसाइट www.dgm.uk.gov.in में पंजीकरण हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 04.04.2018 (सोमवार) सायं 5:00 बजे तक
uktenders.gov.in पर ई निविदा के लिये निविदा दिये जाने हेतु पंजीकरण की अवधि एवं समय-	दिनांक 10.04.2018 (मंगलवार) तक सायं 02:00 बजे तक
प्री बिड बैटक की दिनांक एवं समय	दिनांक 03.04.2018 (मंगलवार) मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे -भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के मुख्यालय देहरादून के सभागार में।
प्री बिड के उपरान्त कोई संशोधन अपेक्षित हो तो तत्सम्बन्धी सूचना अपलोड किये जाने की तिथि	दिनांक 04.04.2018 (बुधवार) को सायं 05:00 बजे तक

uktenders.gov.in पर ई-निविदा हेतु बिड सबमिशन की अवधि एवं समय	दिनांक 05.04.2018 (बृहस्पतिवार) प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 10.04.2018 (मंगलवार) सांय 04:00 बजे तक।
ई-निविदा तकनीकी बोली खोलने की तिथि	दिनांक 11.04.2018 (बुधवार) पूर्वाह्न 11:00 बजे से
ई-निविदा के तकनीकी मूल्यांकन की अवधि	दिनांक 12.04.2018 (बृहस्पतिवार) अपराह्न 11:00 बजे से दिनांक 17.04.2018 (मंगलवार) अपराह्न 03:00 बजे तक।
तकनीकी बोली मूल्यांकन समिति की आख्या	दिनांक 19.04.2018 (बृहस्पतिवार) सांय 04:00 बजे
तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों की घोषणा	दिनांक 20.04.2018 (शुक्रवार) सांय 05:00 बजे
वित्तीय बोली (सफल घोषित निविदाकारों द्वारा निविदित उपखनिज की मात्रा) खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 21.04.2018 (शनिवार) मध्याह्न 12:00 बजे से प्रारम्भ
वित्तीय बोली मूल्यांकन समिति की आख्या	दिनांक 23.04.2018 (सोमवार) अपराह्न 05:00 बजे तक।
ई-निविदा के परिणाम की घोषणा	दिनांक 24.04.2018 (मंगलवार) सांय 04:00 बजे।
प्रथम चरण की समाप्ति	दिनांक 24.04.2018 (मंगलवार) को

विशेष शर्त :-

1. निविदाकार जिन्होंने जनपद के स्थायी निवासी अथवा जनपद के स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो, के रूप में पूर्व प्रकाशित विज्ञापित दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं संशोधित विज्ञापन संख्या 05/ई0निवि0सह ई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 23 फरवरी, 2018 के क्रम में आवेदन किया था, ऐसे निविदाकार पूर्व के ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा शुल्क तथा धरोहर राशि आदि को पुनः उपयोग कर अपलोड कर सकेंगे, तथा मूल प्रतियां सम्बन्धित जनपद के विभागीय कार्यालय में अथवा मुख्यालय देहरादून में जमा करायी जानी आवश्यक होगी।
2. आवेदक को विभागीय वेबसाइट www.dgm.uk.gov.in में पंजीकरण हेतु दिनांक 04.04.2018 को सांय 5.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन किया जाना आवश्यक होगा। विभागीय वेबसाइट में ऑनलाईन आवेदन कर लेने उपरान्त 16 डिजिट का पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के उपरान्त ही इच्छुक बोलीदाता ई नीलामी में प्रतिभाग कर सकेंगे।

सामान्य अनुदेश

1. वर्तमान में प्रकाशित विज्ञापन में वणित 85 उपखनिज लॉटों में से 50 उपखनिज लॉटों हेतु अर्ह निविदादाता/बोलीदाता उपलब्ध न होने के कारण सम्बन्धित उपखनिज क्षेत्र राज्य स्तर के बोलीदाता हेतु 07 दिन के विज्ञापित के उपरान्त पुनः प्रथम चरण की ई-निविदा प्रक्रिया के लिए उपलब्ध किये जा रहे हैं। इस प्रकार विज्ञापित किये जा रहे उक्त जनपदों के 50 उपखनिज लॉटों हेतु पात्रता निम्नानुसार होगी "राज्य के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट/कम्पनी एक्ट अथवा पार्टनरशिप एक्ट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अधीन पंजीकृत हो", को आवंटित किया जायेगा।
2. ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु www.dgm.uk.gov.in, uktenders.gov.in, eauction.gov.in में पंजीकरण प्रक्रिया सम्पन्न करने एवं सम्प्रेषित समस्त सूचनाओं की जिम्मेदारी इच्छुक बोलीदाता की होगी, विभाग तथा सहायक एजेन्सी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
3. ई-निविदा हेतु पंजीकरण करते समय इच्छुक निविदादाता द्वारा "कम्पनी" का नाम" वाले फील्ड में निविदाकर्ता/कम्पनी/फर्म/सोसाइटी (जैसी स्थिति हो) के नाम के साथ सोलह अंकों की पंजीकरण संख्या शुद्धता एवं सावधानीपूर्वक अंकित किया जाना आवश्यक होगा। गलत अथवा त्रुटिपूर्ण अंकन से निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
4. इच्छुक बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसके कम्प्यूटर में "जावा" (JRE) साफ्टवेयर का वैध वर्जन आवश्यक रूप से लोड हो। वैध वर्जन uktenders.gov.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
5. इच्छुक आवेदकों के लिए ऑन लाईन बिड/बोली हेतु डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। भूतत्व एवं खनिकर्म, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के वेब पोर्टल www.dgm.uk.gov.in पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे।
6. अधिकतम पांच खनन पट्टे या 400 है0 क्षेत्रफल से अधिक के चुगान/खनन क्षेत्र को किसी एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 है0 क्षेत्रफल से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे को निरस्त कर पट्टा

अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के पांच क्षेत्र अथवा 400 है0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इंटेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत् वापस कर दी जायेगी।

7. उल्लिखित विज्ञापन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई के निवारण हेतु श्री एस0एल0 पैट्रिक, अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से दूरभाष (8192802321), श्री जी0डी0 प्रसाद, उप निदेशक (8938954950), डॉ0 दीपक हटवाल, उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक (8192802327), हेल्प लाईन नं0-8192802320, 8192802345 से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक